

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

शासन उप सचिव शिक्षा(ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्रांक प.7(1) शिक्षा-2/प्रधा.प्र.अ.व्या.-स्थ./2017 दिनांक 28.12.2017 की पालना में राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाचार्य-उमावि0 के शिक्षा अधिकारों का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 05 में अंकित विद्यालय/ कार्यालय में प्रधानाचार्य उमावि के पद पर एतद् द्वारा किया जाता है :-

क्र.स	नाम कार्मिक सर्व श्री	कहाँ से राउमावि/राबाउमावि..	जिला	कहाँ को राउमावि/राबाउमावि..	जिला
1	राजेश कुमार	वास गोगुन्दा	उदयपुर	राजासर करणीसर	बीकानेर

उल्लेखित कार्मिक दिनांक 05.01.2018 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करें। यदि उल्लेखित कार्मिक निर्वाचन संबंधी कार्य में नियुक्त हैं, का स्थानान्तरण प्रमुख शासन सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग एवं समन्वय विभाग के पत्रांक प.5(1)प्र.सु./अनु-1/2008 पार्ट दिनांक 09.10.2017 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे कार्मिकों को दिनांक 05.01.2018 के पश्चात ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करावें।


आज्ञा से

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिक्षा-माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधानाचार्य/स्था.समा./2017 दिनांक 28.12.2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. विश्व सहायक माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), राजस्थान सरकार जयपुर
2. शासन उप सचिव, शिक्षा ग्रुप-2 विभाग राजस्थान जयपुर
3. सम्बंधित शिक्षा उप निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
4. सम्बंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा प्रथम/द्वितीय।
5. सम्बंधित संस्था प्रधान को पत्रांक किया जाता है कि कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण शाला दर्पण के माध्यम से ही करवाया जाना सुनिश्चित करें।
6. प्रम से 'कम्प्यूटर अनुभाग' को निम्नीय वेब-साईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
7. सम्बंधित कार्मिक/संस्था प्रधान को पालनार्थ/
8. रक्षित त्रावली।


सयुक्त निदेशक (कार्मिक)